(नियम 26)

...यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

आसाराम बनाम मनीराम आदि

किस्म मुकदमा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या: 127 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2019	पत्रावली प्रस्तुत हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी रकबा चक 1 H.W.D. के पत्थर नम्बर 233/58 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 का 10.00 बीघा, पत्थर नम्बर 13/2 किला नम्बर 10, 11, 20 ता 22 में 5.00 बीघा, पत्थर नम्बर 13/3 किला नम्बर 1, 2, 10 में 3.00 बीघा, पत्थर नम्बर 233/59 किला नम्बर 3 ता 8, 13, 14 में 8.00 बीघा कुल खाता 26.00 बीघा दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। प्रार्थी ने अपने खेत में पानी से फसल पकाने के लिए अप्रार्थी न. 2 शंकर के खेत चक 1 H.W.D. के पत्थर नम्बर 233/47 मु.न. 94 के किला नम्बर 16 में दक्षिण तरफ एक ट्युबवैल लगा रखा है। जिससे अपने खेत जो प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित हैं, में टयुबवैल लगा रखा हैं। जिससे अपने खेत जो प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित हैं, में टयुबवैल का पानी लाने के लिए पाईप लाईन डालकर पानी लाना चाहता हैं। जिसकी स्वीकृति दी जावे जो भूमि के नीचे 3 फिट गहराई मे बिछाई जावेगी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट व नक्शा प्रार्थी के द्वारा लगाये गये टयूबवैल चक 1 H.W.D. के पत्थर नम्बर 233/47 के किला नम्बर 16 से लेकर प्रार्थी के रकबा पत्थर नम्बर 233/59 के किला नम्बर तक 14 तक बीच मे कुल छः मुरब्बे आते है जो इस प्रकार है कि पत्थर नम्बर 233/47 किला नम्बर 3, 8, 9, 14, 15, 16 शंकर वल्द रेखाराम जाति नायक के नाम से है तथा पत्थर नम्बर 233/46 किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 व पत्थर नम्बर 233/47 किला नम्बर 22, 23, व पत्थर नम्बर 233/53 किला नम्बर 11, 10, 9, 8, 3, 4, 5 व पत्थर नम्बर 233/60 किला नम्बर 3, पत्थर नम्बर 233/59 किला नम्बर 17, 24 आराजी राज दर्ज है तथा पत्थर नम्बर 233/45 किला नम्बर 18, 17, 15 कृष्णचन्द पुत्र छोटुराम कुम्हार के नाम से है तथा पत्थर नम्बर 233/60 के किला नम्बर 21, 13, 8 ख्यालीराम पुत्र सहीराम नायक व सरस्वती पुत्री देवीलाल मेघवाल के नाम से है तथा पत्थर नम्बर 233/60 किला नम्बर 12, 19 मनीराम पुत्र मामराज मेघवाल निवासी हरदासवाली के नाम से खातेदार दर्ज हैं। इनमें से अप्रार्थी संख्या 6 पर दर्ज सरस्वती के विरूद्ध दिनांक 14.08.218 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा अन्य काश्तकार जो अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 पर दर्ज है, के द्वारा जरिये अभिभाषक अपना जबाब इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी सहमती दे दी है। प्रार्थी संलग्न नक्शा अनुसार पाईपलाईन की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है जो किसी पक्षकार की आपत्ति नहीं होने पर स्वीकार योग्य है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आसाराम बनाम मनीराम आदि, प्र.स. 127/2017)

स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 1 H.W.D. के पत्थर नम्बर 233/58 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 13/2 किला नम्बर 10, 11, 20 ता 22 में 1.265 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 13/3 किला नम्बर 1, 2, 10 में 0.759 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 233/59 किला नम्बर 3 ता 8, 13, 14 में 2.024 हैक्टेयर कुल खाता 6.578 हैक्टेयर हेतु पाईप लाईन की स्वीकृति इसी चक 1 H.W.D. के पत्थर नम्बर 233/47 के किला नम्बर 16 में लगे हुए ट्यूबवैल से पत्थर नम्बर 233/47 के किला नम्बर 15, 14, 9, 8, 3 से पत्थर नम्बर 233/46 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22 व पत्थर नम्बर 233/45 के किला नम्बर 22, 23, 18, 17, 15 व पत्थर नम्बर 233/53 के किला नम्बर 11, 10, 9, 8, 3, 4, 5 व पत्थर नम्बर 233/60 के किला नम्बर 21, 19, 12, 13, 8, 3 व पत्थर नम्बर 233/59 के किला नम्बर 24, 17 से किला नम्बर 14 तक भूमिगत पाईप लाईन तीन फिट गहराई मे बिछाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। प्रार्थी को अच्छी क्वालिटी की पाईप लाईन लगानी होगी तथा बीच बीच मे हवा पास सिस्टम लगाने होगे तथा कहीं से भी पानी लीकेज न हो तथा किसी भी काश्तकार को इस पाईप लाईन से किसी प्रकार का नुकसान नही हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से तहरीर जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: